सत्य प्रतिलिपिः– नेशनल लोक अदालत दिनांक 13/09/2025 को खण्डपीठ क्रं.–03 द्वारा न्यायालयः विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, जिला–कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा विशेष विद्युत सत्र प्रकरण क्रमांक **439/2022,** पक्षकार छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध **भारत** में पारित किया गया है।

≈≈≈

13/09/2025 प्रकरण राजीनामा हेतु नेशनल लोक अदालत में पेश ।

परिवादी द्वारा श्री अतीत परिहार अधिवक्ता।

अभियुक्त स्वतः उपस्थित ।

उभयपक्ष मध्यस्थता कार्यवाही हेतु सहमत हैं ।

उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण मध्यस्थता हेतु रेफर किया जाता है। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे आज ही मध्यस्थता केन्द्र, कवर्धा में उपस्थित रहें । इस हेतु पृथक से रेफरल आर्डर जारी किया जाये।

(योगिता विनय वासनिक)
विशेष न्यायाधीश
भारतीय विद्युत अधिनियम
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

पुनश्च–

परिवादी द्वारा श्री अतीत परिहार अधिवक्ता।

अभियुक्त स्वतः उपस्थित।

मध्यस्थता केन्द्र से **Mediation "For the Nation"** के तहत उभयपक्ष के मध्य मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने का प्रतिवेदन प्राप्त।

अभियुक्त ने निवेदन किया कि परिवादी संस्था द्वारा अधिरोपित व्यय का भुगतान कर दिया गया है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाए ।

इसी स्तर पर परिवादी अधिवक्ता श्री अतीत परिहार ने भी एक आवेदन पत्र राजीनामा हेतु पेश किया ।

परिवादी अधिवक्ता श्री अतीत परिहार द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज प्रकरण के तारतम्य में अभियुक्त ने विद्युत विभाग को अधिरोपित व्यय का भुगतान कर दिया है तथा परिवादी संस्था को आज दिनांक की स्थिति में किसी प्रकार के देयक शेष नहीं है, परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो गया है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाये ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

उक्त राजीनामा आवेदन के संदर्भ में प्रकरण के अवलोकन उपरांत परिवादी की ओर से किए गए निवेदन को देखते हुए तथा परिवादी संस्था और अभियुक्त के मध्य लम्बित परिवाद प्रकरण की कार्यवाही राजीनामा के आधार पर समाप्त किए जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं होने से राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त को धारा 138 (ख) भारतीय विद्युत अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त करते हुए प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अभियुक्त को प्रकरण की कार्यवाही से स्वतंत्र किया गया ।

राजीनामा आदेश पत्र की सत्य प्रतिलिपि परिवादी संस्था के अधिवक्ता एवं अभियुक्त को प्रदान किया जाये।

प्रकरण समाप्त। परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–
(श्री कमल साहू)
अधिवक्ता/सदस्य
नेशनल लोक अदालत
खंडपीठ क्रं.–03,
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

सही/–
(योगिता विनय वासनिक)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खंडपीठ क्रं.–03,
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)